



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/196

विवि.एसटीआर.आरईसी.115/21.04.048/2025-26

नवंबर 28, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025

विषयवस्तु

अध्याय

अध्याय I - प्रारंभिक	5
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ	5
बी. प्रयोज्यता	5
सी. परिभाषाएं	6
अध्याय II - सामान्य आवश्यकताएं	13
ए. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ:	13
बी. दबाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग	16
सी. प्रकटीकरण	17
डी. पर्यवेक्षी समीक्षा	18
अध्याय III - समाधान प्रक्रिया	19
ए. समीक्षा अवधि	19
बी. अंतर-ऋणदाता समझौता	19
सी. समाधान योजना	20
अध्याय IV - अतिरिक्त प्रावधान	26
ए. समाधान योजना के कार्यान्वयन में विलंब - अतिरिक्त प्रावधान	26
अध्याय V – पुनर्चना के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंड	28
ए. प्रयोज्यता	28
बी. पुनर्गठन के बाद परिसंपत्ति वर्गीकरण	28



सी. अतिरिक्त वित्त.....	28
डी. संतोषजनक प्रदर्शन के बाद परिसंपत्ति वर्गीकरण उन्नयन.....	29
ई. निगरानी अवधि के बाद उधारकर्ता द्वारा डिफॉल्ट	31
एफ. पुनर्गठन के बाद प्रावधान	31
जी. आय पहचान	33
एच. स्वामित्व में परिवर्तन	34
अध्याय VI - पुनर्गठन के विशेष मामले.....	36
ए. बिक्री और पट्टा-वापसी (लीजबैक) लेनदेन	36
बी. एक्सपोजर का पुनर्वित्त.....	36
सी. ऐसे उधारकर्ता जिन्होंने धोखाधड़ी/दुर्भावना/जानबूझकर चूक की है	37
डी. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना	37
ई. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित खातों का समाधान	43
एफ. कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं	43
अध्याय VII - सरकारी ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस)	53
ए. सरकारी ऋण राहत योजनाओं के संबंध में विवेकपूर्ण व्यवहार (DRS):	53
अध्याय VIII: पुनर्चना के भाग के रूप में अधिग्रहित लिखतों का विवेकपूर्ण निष्पादन	56
ए. पुनर्चना के भाग के रूप में अधिग्रहित लिखतों का आस्ति वर्गीकरण	56
बी. पुनर्चना के भाग के रूप में अधिग्रहित लिखतों का प्रावधानीकरण	56
सी. पुनर्चना के भाग के रूप में प्राप्त किए गए लिखतों का मूल्यांकन.....	56
डी. पुनर्चना के भाग के रूप में प्राप्त किए गए लिखतों से आय पहचान	59
अध्याय IX – विनियामकीय छूट	61
ए. आरबीआई विनियमों से छूट	61
बी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के विनियमों से छूट	61
अध्याय X - विशेष उपाय	63
ए. व्यापार राहत उपाय.....	63
अध्याय XI - निरसन और अन्य प्रावधान.....	64
ए. निरसन एवं बचाव.....	64



बी. अन्य कानूनों की प्रयोज्यता पर रोक नहीं	65
सी. व्याख्याएं.....	65
अनुबंध - मॉडल परिचालन प्रक्रिया (सरकारी ऋण राहत योजनाएं)	66



प्रस्तावना

ये निदेश दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान के लिए एक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। जैसा कि समझौता निपटान एक वैध समाधान योजना है, इसलिए ये निदेश प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को गति प्रदान करने के लिए समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे खाते में डालने के निदेशों को भी युक्तिसंगत और सुसंगत बनाते हैं। इसके अलावा, ये निदेश बुनियादी ढांचे और गैर-बुनियादी ढांचे (वाणिज्यिक स्थावर संपदा और वाणिज्यिक अचल संपत्ति-निवासी आवास सहित) में परियोजनाओं के वाणिज्यिक संचालन के शुरू होने की तारीख में बदलाव पर समेकित नियामक निष्पादन निर्धारित करते हैं।

कुछ बैंकों को राज्य सरकारों द्वारा घोषित विभिन्न प्रकार की ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के कार्यान्वयन में भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजकोषीय सहायता के सापेक्ष उधारकर्ताओं के लक्षित वर्ग के ऋण दायित्वों का त्याग/अधित्याग सम्मिलित है। यदि ऐसी योजनाओं की घोषणा बार-बार, असंगत रूप से अथवा वित्तीय अनुशासन के सिद्धांतों पर उचित विचार किए बिना की जाती है, तो वे ऋण अनुशासन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी और दीर्घावधि में ऐसे उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्रवाह के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं। क्रेडिट अनुशासन और नैतिक खतरे के मुद्दों के व्यापक निहितार्थों के अलावा, डीआरएस कुछ विवेकपूर्ण चिंताएं भी पैदा करता है, जिसमें बकाया राशि की प्राप्ति में देरी; बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए दावों और संबंधित सरकार द्वारा योजना की शर्तों के अनुसार स्वीकार किए गए दावों के बीच बेमेल; बैंकों द्वारा नए ऋण की अनिवार्य आवश्यकता, आदि शामिल हैं। ये निदेश डीआरएस में



बैंकों की भागीदारी के संबंध में कुछ व्यापक सिद्धांत भी निर्धारित करते हैं और एक मॉडल संचालन प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रक्रिया को राज्य सरकारों के साथ उनके विचार हेतु साझा किया गया है ताकि ऐसे डीआरएस को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय सरकार, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं आदि सहित इसमें शामिल हितधारकों की अपेक्षाओं में किसी भी प्रकार का असंतुलन न रहे।

तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा, इन निदेशों को इसके बाद निर्दिष्ट किया गया है।

ये निर्देश दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई. बी. सी.) के तहत विशिष्ट उधारकर्ताओं के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए. ए. के प्रावधानों के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों को विशिष्ट निर्देश जारी करने के पूर्वाग्रह के बिना जारी किए जाते हैं।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो.

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश लघु वित्त बैंकों (जिन्हें आगे 'बैंक' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।



4. अध्याय III और अध्याय IV में निहित अनुदेश समय-समय पर संशोधित [दिनांक 17 मार्च 2016 के परिपत्र संख्या एफआईडीडी.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.21/06.02.31/2015-16](#) में निहित अनुदेशों के अंतर्गत आने वाले एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर लागू नहीं होंगे।
5. ये निदेश उन उधारकर्ता संस्थाओं के लिए लागू नहीं होंगे जिनके संबंध में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को विशिष्ट निदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं या जारी किए जा रहे हैं। बैंक ऐसे मामलों को उनके लिए जारी किए गए विशिष्ट अनुदेशों के अनुसार आगे बढ़ाएगा।

सी. परिभाषाएं

6. इस निदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों का अभिप्राय नीचे दिए गए अनुसार होगा:
- (1) 'समग्र एक्सपोजर' में निवेश एक्सपोजर सहित सभी फंड आधारित और गैर-फंड आधारित एक्सपोजर शामिल होंगे;
- (2) 'समझौता निपटान' उधारकर्ता के विरुद्ध बैंक के दावों को पूरी तरह से नकद में निपटाने के लिए उधारकर्ता के साथ की गई व्यवस्था को संदर्भित करेगा
- स्पष्टीकरण:* समझौता निपटान में उधारकर्ता के विरुद्ध बैंक के दावों की संबंधित छूट के साथ बैंक की ओर से उधारकर्ता से देय राशि का कुछ त्याग हो सकता है



(3) कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के संदर्भ में 'क्रेडिट घटना (इवेंट)' को निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर उत्प्रेरक माना जाएगा :

- (i) किसी भी ऋणदाता के साथ चूक;
- (ii) एक या एक से अधिक ऋणदाता किसी परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन (डीसीसीओ) के शुरू होने की मूल/विस्तारित तिथि के विस्तार की आवश्यकता निर्धारित करते हैं, जैसा भी मामला हो;
- (iii) मूल/विस्तारित डीसीसीओ की समाप्ति, जैसा भी मामला हो;
- (iv) एक या एक से अधिक ऋणदाता अतिरिक्त ऋण के अंतर्वेशन की आवश्यकता निर्धारित करते हैं;
- (v) परियोजना को पैरा 9 से 11 के अनुसार निर्धारित वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) 'चूक' का अर्थ होगा ऋण का भुगतान न करना (जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत परिभाषित किया गया है) जब ऋण का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय हो गई है और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के लिए चूक का अर्थ यह भी होगा कि उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बकाया शेष राशि, स्वीकृत सीमा से अधिक या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, तीस दिनों से अधिक समय तक लगातार शेष है।



- (4) 'निर्माण के दौरान ब्याज' का अर्थ होगा बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर अर्जित ब्याज और परियोजना के निर्माण चरण के दौरान पूंजीकृत ब्याज;
- (6) परियोजना वित्त के संदर्भ में 'ऋणदाता' का अर्थ निम्नलिखित में से कोई भी संस्था होगी:
- (i) वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंको (एसएफबी सहित) लेकिन भुगतान बैंकों (पीबी), स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर);
 - (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), (एक आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) सहित);
 - (iii) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी);
 - (iv) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई).
- (7) 'परिसमापन मूल्य' का अर्थ संबंधित उधारकर्ता की आस्तियों का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य होगा, यदि ऐसे उधारकर्ता को समीक्षा अवधि प्रारम्भ होने की तारीख तक परिसमापन किया जाना था;
- (8) 'निगरानी अवधि' का अर्थ समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से उस तारीख तक की अवधि से होगा जब तक समाधान योजना के अनुसार बकाया मूल ऋण की राशि का कम से कम 10 प्रतिशत और पुनर्चना के हिस्से के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाता है;



- (9) 'बकाया मूल ऋण' में ऋण/ऋण जैसे लिखत (जैसे, अपरिवर्तनीय डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर, अपरिवर्तनीय वरीयता शेयर आदि) सहित सभी ऋण सुविधाएं शामिल होंगी जो समाधान योजना के कार्यान्वयन के उपरांत विद्यमान हैं।

स्पष्टीकरण: केवल इक्विटी और अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तित होने वाले साधनों (इंस्ट्रुमेंट्स) (बिना किसी अंतर्निहित वैकल्पिकता के) को बकाया मूल ऋण निर्धारित करने से छूट दी जाएगी।

- (10) 'अवशिष्ट ऋण' का अर्थ होगा प्रस्तावित समाधान योजना के अनुसार सभी निर्दिष्ट ऋणदाताओं द्वारा परिकल्पित कुल बकाया मूल ऋण;
- (11) कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के संदर्भ में 'समाधान योजना' का अर्थ होगा परियोजना वित्त खाते में तनाव के समाधान के लिए पारस्परिक रूप से सहमत, कानूनी रूप से बाध्यकारी, व्यवहार्य और समयबद्ध योजना। समाधान योजना में कोई भी कार्य/योजना/पुनर्गठन शामिल हो सकता है, जिसमें देनदार संस्था द्वारा सभी अतिदेय राशि का भुगतान करके खाते का नियमितीकरण, अन्य संस्थाओं/निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री, स्वामित्व में परिवर्तन, डीसीसीओ का विस्तार और पुनर्चना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- (12) 'पुनर्चना' का अर्थ एक ऐसा कार्य होगा जिसमें एक बैंक, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या कानूनी कारणों से, उधारकर्ता को रियायतें प्रदान करता है।



स्पष्टीकरण: पुनर्रचना में सामान्य तौर पर अग्रिम/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होता है, जिसमें आम तौर पर, अन्य बातों के साथ, भुगतान अवधि/देय राशि/किश्तों की राशि/ब्याज दर; ऋण सुविधाओं का रोलओवर; अतिरिक्त ऋण सुविधा की मंजूरी/चूक ठीक करने/मौजूदा ऋण सीमाओं में वृद्धि में सहायता के लिए चूक में किसी खाते के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करना; समझौता निपटान जहां निपटान राशि के भुगतान के लिए तीन महीने से अधिक समय हो।

- (13) 'समीक्षा अवधि' का अर्थ चूक या क्रेडिट घटना की तारीख से तीस दिनों की अवधि होगी, जैसा भी मामला हो;
- (14) 'संतोषजनक प्रदर्शन' का अर्थ यह होगा कि उधारकर्ता इकाई संबंधित अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी निर्दिष्ट ऋणदाता के साथ चूक (डिफॉल्ट) में नहीं है;

बशर्ते, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) खातों की पुनर्रचना के मामले में जहां वाणिज्यिक बैंकों (एसएफबी सहित, लेकिन पीबी, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) का कुल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से कम है, संतोषजनक प्रदर्शन का अर्थ होगा:

- (i) कोई भुगतान (ब्याज और/या मूलधन) 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं रहता है;
- (ii) नकद क्रेडिट /ओवरड्राफ्ट खाते के मामले में, खाते में बकाया 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से अधिक नहीं है.



(15) 'निर्दिष्ट ऋणदाता' का अर्थ निम्नलिखित में से कोई भी संस्था होगी:

- (i) वाणिज्यिक बैंक (एसएफबी सहित लेकिन पीबी, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर);
- (ii) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान.
- (iii) एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) जमा स्वीकारा करने वाली;
- (iv) ₹500 करोड़ और उससे अधिक की आस्तियों का आकार वाली गैर-जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर).

(16) 'निर्दिष्ट अवधि' का अर्थ समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से उस तारीख तक की अवधि से होगा जिसके द्वारा समाधान योजना के अनुसार बकाया मूल ऋण की राशि का कम से कम 20 प्रतिशत और पुनर्चना के भाग के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाता है।

बशर्ते, आईबीसी के तहत पुनर्चित खातों के लिए, निर्दिष्ट अवधि को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से प्रारम्भ माना जाएगा।

बशर्ते यह भी कि एमएसएमई खातों के पुनर्चना के मामले में जहां बैंकों का कुल एक्सपोजर (एसएफबी सहित, लेकिन पीबी, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) 25 करोड़ रुपये से कम है, निर्दिष्ट अवधि का अर्थ है किसी विशेष बैंक के लिए पुनर्चना पैकेज की शर्तों के तहत अधिस्थगन की सबसे लंबी अवधि



वाली क्रेडिट सुविधा पर ब्याज या मूलधन के पहले भुगतान की शुरुआत से एक वर्ष की अवधि, जो भी बाद में हो।

- (17) 'वैकल्पिक क्रेडिट सुविधा' का अर्थ होगा परियोजना के निर्माण चरण के दौरान किसी भी लागत वृद्धि को पूरा करने के लिए वित्तीय समापन (क्लोजर) के समय परियोजना के लिए स्वीकृत आकस्मिक क्रेडिट लाइन।
- (18) 'तकनीकी बड़े खाते डालना' उन मामलों को संदर्भित करेगा जहां गैर-निष्पादित आस्तियां उधारकर्ताओं के ऋण खाते के स्तर पर बकाया रहती हैं, लेकिन उधारकर्ता के खिलाफ दावों की किसी भी छूट को शामिल किए बिना, और उसी की वसूली के लिए पूर्वाग्रह के बिना बैंक द्वारा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए (पूरी तरह या आंशिक रूप से) बड़े खाते में डाल दी जाती हैं।
7. 'नियुक्त तिथि, वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई)', वाणिज्यिक स्थावर संपदा-आवासीय आवास (सीआरई-आरएच)', 'निर्माण चरण', 'वित्तीय बंद होने की तिथि', 'बुनियादी ढांचा क्षेत्र', 'वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की मूल तिथि (मूल डीसीसीओ)', 'विस्तारित डीसीसीओ', 'वास्तविक डीसीसीओ', 'परियोजना', और 'परियोजना वित्त' का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - ऋण सुविधाएं) निर्देश, 2025 में सौंपा गया है।
8. अन्य सभी अभिव्यक्तियां, जब तक कि यहां परिभाषित न की गई हों, का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य विनियमों या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शर्तों की शब्दावली या वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किए गए शब्दों के तहत सौंपा गया है, जैसा भी मामला हो.



अध्याय II - सामान्य आवश्यकताएं

ए. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ:

9. बैंक दबाव वाली परिसंपत्तियों के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां बनाएगा, जिसमें समाधान के लिए समय-सीमा के साथ-साथ वित्तीय कठिनाई के विभिन्न संकेतों पर विस्तृत नीतियां शामिल हैं, वित्तीय कठिनाई का निर्धारण करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंड प्रदान करना शामिल है.
10. वित्तीय कठिनाई के संकेतों की एक गैर-विस्तृत सांकेतिक सूची, जो 'समस्या परिसंपत्तियों के विवेकपूर्ण उपचार - गैर-निष्पादित जोखिम और सहनशीलता की परिभाषाओं' पर बेसल समिति के दिशानिर्देशों पर आधारित है, संदर्भ के लिए निम्नानुसार प्रदान की गई है:
 - (1) दिशानिर्देशों में दी गई परिभाषा के अनुसार, डिफॉल्ट को वित्तीय कठिनाई के संकेतक के रूप में माना जाएगा, भले ही डिफॉल्ट के कारण कुछ भी हों.
 - (2) एक उधारकर्ता डिफॉल्ट में नहीं है, लेकिन यह संभव है कि उधारकर्ता रियायत के बिना निकट भविष्य में अपने किसी भी जोखिम पर चूक करेगा, उदाहरण के लिए, जब इसके एक्सपोजर पर भुगतान में चूक का एक पैटर्न रहा है.
 - (3) एक उधारकर्ता की बकाया प्रतिभूतियों को सूची से हटा दिया गया है, या सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं, या लिस्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन न करने या वित्तीय कारणों से एक्सचेंज से असूचीबद्ध होने का खतरा है.
 - (4) वास्तविक प्रदर्शन, अनुमानों और अनुमानों के आधार पर, जो उधारकर्ता के संचालन के वर्तमान स्तर को शामिल करते हैं, उधारकर्ता के नकदी प्रवाह को निकट



भविष्य के लिए मौजूदा समझौते की संविदात्मक शर्तों के अनुसार अपने सभी ऋणों या ऋण प्रतिभूतियों (ब्याज और मूलधन दोनों) की सेवा के लिए अपर्याप्त होने का आकलन किया जाता है.

- (5) एक उधारकर्ता की ऋण सुविधाएं गैर-निष्पादित स्थिति में हैं या रियायतों के बिना गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी.
 - (6) एक उधारकर्ता के मौजूदा एक्सपोजर को एक्सपोजर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो पहले से ही बैंक की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली के अनुसार उधारकर्ता की चुकाने की क्षमता में कठिनाई का सबूत देता है.
11. एक बैंक प्रमुख वित्तीय अनुपातों और परिचालन मापदंडों के साथ वित्तीय कठिनाई संकेतकों की गैर-संपूर्ण गणना की उपरोक्त सूची को पूरक करेगा जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू शामिल हो सकते हैं.

स्पष्टीकरण: एक्सपोजर पर बकाया के अभाव में भी वित्तीय कठिनाई की पहचान की जा सकती है.

12. एक बैंक उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान करने के साथ-साथ तकनीकी बट्टे खाते डालने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां बनाएगा, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) सभी समझौता निपटानों और तकनीकी बट्टे खाते में डालने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का व्यापक नुस्खा, आवश्यक शर्तों पर विशिष्ट मार्गदर्शन के साथ जैसे कि न्यूनतम आयुवृद्धि, संपार्श्विक मूल्य में गिरावट आदि।;



- (2) बोर्ड द्वारा तय की जाने वाली उचित सीमा और समय सीमा के साथ ऐसे मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच के लिए श्रेणीबद्ध ढांचा;
- (3) जहां उपलब्ध हो, प्रतिभूति/संपार्श्विक के वर्तमान प्राप्य मूल्य की विवेकपूर्ण गणना करने के बाद, निपटान राशि पर पहुंचने के दौरान विभिन्न श्रेणियों के एक्सपोजर के लिए अनुमेय बलिदान से संबंधित प्रावधान;
- (4) समझौता निपटान के संबंध में प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए कार्यप्रणाली/
- (5) समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे खाते में डालने के अनुमोदन/मंजूरी के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन, निम्नलिखित के अधीन:

- (i) इस तरह के अनुमोदनों के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन एक प्राधिकरण (व्यक्ति या समिति, जैसा भी मामला हो) के पास होना चाहिए, जो ऋण/निवेश जोखिम को मंजूरी देने की शक्ति के साथ निहित प्राधिकरण की तुलना में पदानुक्रम में कम से कम एक स्तर अधिक है.

परन्तु कोई भी अधिकारी जो ऋण स्वीकृत करने का भाग था (व्यक्ति के रूप में या समिति के भाग के रूप में) किसी भी क्षमता में उसी ऋण खाते के समझौता निपटान के प्रस्ताव को मंजूरी देने का हिस्सा नहीं होगा.

- (ii) धोखाधड़ी या जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के संबंध में समझौता निपटान के प्रस्ताव, जैसा कि पैराग्राफ 87 से 102 के संदर्भ में अनुमति दी गई है, सभी मामलों में बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होगी.



13. बैंक पैराग्राफ 45 और 46 के संदर्भ में आंशिक रूप से या पूरी तरह से समाप्त व्युत्पन्न अनुबंधों के क्रिस्टलाइज्ड मार्क टू मार्केट (एमटीएम) मूल्य की किस्तों में भुगतान की अनुमति देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगा .
14. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की मजबूती और परिणामों की जांच रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी निगरानी के हिस्से के रूप में की जाएगी.

बी. दबाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग

15. बैंक ऋण खातों में प्रारंभिक दबाव को तुरंत पहचानेगा, ऐसी परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके:

परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य ऋण		ऐसे ऋण जो परिक्रामी सुविधाओं के रूप में होते हैं जैसे कि नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट	
एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय	एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण के लिए आधार - बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से अधिक की अवधि के लिए लगातार बनी रहती है।
एसएमए-0	30 दिनों तक		
एसएमए -1	30 दिन से अधिक और 60 दिनों तक	एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक	एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक



16. उधारकर्ता खातों को एसएमए श्रेणियों में वर्गीकृत करने के निर्देश फसल मौसम आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा शासित कृषि अग्रिमों को छोड़कर, बैंक के एक्सपोजर के आकार पर ध्यान दिए बिना सभी ऋणों (खुदरा ऋणों सहित) के लिए लागू होते हैं।
17. बैंक मासिक आधार पर 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले सभी उधारकर्ताओं पर एसएमए के रूप में खाते के वर्गीकरण सहित क्रेडिट जानकारी की सूचना केंद्रीय रिपॉजिटरी (सीआरआईएलसी) को रिपोर्ट करेगा।
18. बैंक सभी उधारकर्ताओं (5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर के साथ) द्वारा डिफॉल्ट के उदाहरणों की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार को या शुक्रवार को छुट्टी होने पर पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर प्रस्तुत करेगा।
19. बैंक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) विनियम, 2017 की सूचना उपयोगिताओं को वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा और संहिता और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करेगा।

सी. प्रकटीकरण

20. बैंक अपने वित्तीय विवरणों में 'नोट्स टू अकाउंट्स' में उपयुक्त प्रकटीकरण करेगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 में निर्दिष्ट है।



डी. पर्यवेक्षी समीक्षा

21. खातों की वास्तविक स्थिति को छिपाने या दबावग्रस्त खातों को सदाबहार बनाने के इरादे से बैंक द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली कड़ी पर्यवेक्षी/प्रवर्तन कार्रवाइयों के अधीन होगी, जिसमें ऐसे खातों पर उच्च प्रावधान और मौद्रिक दंड शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
22. उपरोक्त पैराग्राफ 21 के तहत की गई कार्रवाई दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत बैंकों/बैंकों को दिवाला आवेदन दायर करने के निर्देश के अतिरिक्त हो सकती है।



अध्याय III - समाधान प्रक्रिया

ए. समीक्षा अवधि

23. एक बार जब किसी उधारकर्ता को एनबीएफसी के अलावा किसी अन्य निर्दिष्ट ऋणदाता द्वारा डिफॉल्ट होने की सूचना दी जाती है, तो निर्दिष्ट ऋणदाता संयुक्त रूप से समीक्षा अवधि के भीतर उधारकर्ता खाते की प्रथम दृष्टया समीक्षा करेंगे.
24. इस समीक्षा अवधि के दौरान, निर्दिष्ट ऋणदाता संयुक्त रूप से समाधान रणनीति पर निर्णय लेंगे, जिसमें समाधान योजना की प्रकृति, समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए दृष्टिकोण आदि शामिल हैं।
25. एक बैंक दिवालियापन या वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने का विकल्प भी चुन सकता है।
26. चूंकि किसी भी ऋणदाता के साथ डिफॉल्ट उधारकर्ता द्वारा सामना किए जाने वाले वित्तीय तनाव का एक पिछड़ा संकेतक है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि एक बैंक डिफॉल्ट से पहले ही एक समाधान योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है.

बी. अंतर-ऋणदाता समझौता

27. ऐसे मामलों में जहां समाधान योजना को लागू किया जाना है, सभी निर्दिष्ट ऋणदाता, समीक्षा अवधि के दौरान एक अंतर-ऋणदाता समझौता करेंगे, ताकि एक से अधिक निर्दिष्ट ऋणदाताओं से ऋण सुविधाओं वाले उधारकर्ताओं के संबंध में समाधान योजना को अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन के लिए जमीनी नियम प्रदान किए जा सकें.
28. अंतर-लेनदार समझौता यह प्रदान करेगा कि:



- (1) कुल बकाया ऋण सुविधाओं (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) के मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत हस्ताक्षरकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सहमत कोई भी निर्णय सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा, और
 - (2) समाधान योजनाओं में असहमति हस्ताक्षरकर्ताओं के कारण परिसमापन मूल्य से कम भुगतान का प्रावधान नहीं होगा.
29. उपरोक्त पैराग्राफ 28 में आवश्यकताओं के अलावा, अंतर-ऋणदाता समझौता, अन्य बातों के साथ-साथ, बहुसंख्यक हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों, कर्तव्यों और असहमति हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा, नकदी प्रवाह/विभेदक सुरक्षा हित आदि में प्राथमिकता के साथ हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ व्यवहार प्रदान करेगा.

सी. समाधान योजना

30. एक समाधान योजना में कोई भी कार्रवाई/योजना/पुनर्गठन शामिल हो सकता है, जिसमें उधारकर्ता इकाई द्वारा सभी बकाया राशि का भुगतान करके खाते का नियमितीकरण, अन्य संस्थाओं/निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री, स्वामित्व में परिवर्तन और पुनर्गठन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
31. समाधान योजना को बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाएगा (भले ही किसी भी नियम और शर्तों में कोई बदलाव न हो)।
32. उन खातों के संबंध में पुनर्गठन/स्वामित्व में परिवर्तन को शामिल करने वाली एक समाधान योजना जिसमें निर्दिष्ट ऋणदाताओं का कुल ऋण ऋण ₹100 करोड़ या उससे अधिक है, इस



उद्देश्य के लिए विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अवशिष्ट ऋण के स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।

33. आरपी प्रतीकों की सूची जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन के रूप में प्रदान की जा सकती है और उनके अर्थ इस प्रकार हैं:

ICE प्रतीक	परिभाषा
RP1	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं/लिखतों को वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्चतम स्तर की सुरक्षा माना जाता है। ऐसी ऋण सुविधाओं/लिखतों में सबसे कम ऋण जोखिम होता है।
RP2	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं/लिखतों को वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्च स्तर की सुरक्षा माना जाता है। ऐसी ऋण सुविधाओं/लिखतों में ऋण जोखिम बहुत कम होता है।
RP3	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं/लिखतों को वित्तीय दायित्वों के समय पर अदायगी के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा माना जाता है। ऐसी ऋण सुविधाओं/लिखतों में कम ऋण जोखिम होता है।
RP4	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं/लिखतों को वित्तीय दायित्वों के समय पर अदा करने के संबंध में मध्यम स्तर की सुरक्षा माना जाता है। ऐसी ऋण सुविधाओं/लिखतों में मध्यम ऋण जोखिम होता है।
RP5	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं/लिखतों को वित्तीय दायित्वों की समय पर अदायगी के संबंध में चूक का मध्यम जोखिम माना जाता है।
RP6	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं/लिखतों को वित्तीय दायित्वों के समय पर भुगतान के संबंध में चूक का उच्च जोखिम माना जाता है।



RP7	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं/लिखतों को वित्तीय दायित्वों की समय पर अदा करने के संबंध में चूक का बहुत अधिक जोखिम माना जाता है.
-----	---

34. जबकि 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले खातों के लिए ऐसे दो स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, अन्य को एक स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।
35. केवल ऐसी समाधान योजनाएं जो एक या दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से अवशिष्ट ऋण के लिए आरपी 4 या बेहतर क्रेडिट राय प्राप्त करती हैं, जैसा भी मामला हो, कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।
36. यदि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की आवश्यकता से अधिक संख्या से स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन प्राप्त किया जाता है, तो कार्यान्वयन के लिए विचार की जाने वाली समाधान योजना के लिए ऐसी सभी स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन राय आरपी4 या बेहतर होगी।
37. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन के उद्देश्य से निर्दिष्ट ऋणदाताओं द्वारा सीधे नियुक्त किया जाएगा और ऐसे असाइनमेंट के लिए शुल्क का भुगतान निर्दिष्ट ऋणदाताओं द्वारा किया जाएगा।
38. उस अवधि के दौरान जब आरपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कार्यान्वित किया जा रहा है, सामान्य परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड इस निर्देश के अध्याय IV की अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताओं के अधीन लागू होते रहेंगे । किसी परिसंपत्ति के पुनः वर्गीकरण की प्रक्रिया केवल इसलिए नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि आरपी विचाराधीन है।



39. उन उधारकर्ताओं के संबंध में एक समाधान योजना जिनके पास एक या एक से अधिक निर्दिष्ट ऋणदाता ऋण जोखिम जारी रखते हैं, को केवल तभी 'कार्यान्वित' माना जाएगा जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है:

- (1) एक समाधान योजना जिसमें पुनर्गठन/स्वामित्व में परिवर्तन शामिल नहीं है, को केवल तभी कार्यान्वित माना जाएगा जब उधारकर्ता समीक्षा अवधि के अंत से 180 वें दिन तक किसी भी निर्दिष्ट ऋणदाता के साथ चूक में नहीं है। 180-दिन की अवधि के बाद किसी भी बाद के डिफॉल्ट को एक नए डिफॉल्ट के रूप में माना जाएगा, जिससे एक नई समीक्षा शुरू हो जाएगी।
- (2) एक समाधान योजना जिसमें पुनर्गठन/स्वामित्व में परिवर्तन शामिल है, को केवल तभी लागू माना जाएगा जब निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा किया जाता है:
 - i. निर्दिष्ट ऋणदाताओं और उधारकर्ता के बीच आवश्यक समझौतों के निष्पादन/सुरक्षा शुल्क का निर्माण/प्रतिभूतियों की पूर्णता सहित सभी संबंधित दस्तावेज, संबंधित निर्दिष्ट ऋणदाताओं द्वारा कार्यान्वित की जा रही समाधान योजना के अनुरूप पूरे किए जाते हैं;
 - ii. नई पूंजी संरचना और/या मौजूदा ऋणों की शर्तों की शर्तों में परिवर्तन सभी निर्दिष्ट ऋणदाताओं और उधारकर्ता की पुस्तकों में विधिवत परिलक्षित होते हैं; तथा,
 - iii. उधारकर्ता किसी भी निर्दिष्ट ऋणदाता के साथ डिफॉल्ट नहीं है.



40. एक समाधान योजना जिसमें निर्दिष्ट ऋणदाता तीसरे पक्ष को एक्सपोजर सौंपकर एक्सपोजर से बाहर निकलते हैं या वसूली कार्रवाई से जुड़ी एक समाधान योजना को केवल तभी लागू माना जाएगा जब उधारकर्ता को एक्सपोजर पूरी तरह से समाप्त हो गया हो।
41. 'संदर्भ तिथि' पर या उसके बाद निर्दिष्ट ऋणदाताओं के साथ एक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर कुल एक्सपोजर वाले खातों के संबंध में, समाधान योजना समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिनों के भीतर लागू की जाएगी, जो:

- (1) संदर्भ तिथि, यदि संदर्भ तिथि को डिफॉल्ट रूप से है, या
- (2) संदर्भ तिथि के बाद पहले डिफॉल्ट की तारीख

से बाद में शुरू नहीं होगी।

42. उपरोक्त पैराग्राफ 41 के प्रयोजन के लिए संदर्भ तिथियां निम्नानुसार होंगी:

एनबीएफसी के अलावा निर्दिष्ट ऋणदाताओं के लिए एक उधारकर्ता का कुल एक्सपोजर	संदर्भ तिथि
₹ 2000 करोड़ और उससे अधिक	जून 07, 2019
1500 करोड़ रुपये और उससे अधिक, लेकिन 2000 करोड़ रुपये से कम	जनवरी 1, 2020
₹ 1500 करोड़ से कम	उचित समय पर घोषित किया जाएगा

43. 1,500 करोड़ रुपये से कम कुल एक्सपोजर वाले खातों के संबंध में, इन निर्देशों के अध्याय IV के तहत निर्धारित आवश्यकताएं लागू नहीं होंगी.
44. जहां एक डेरिवेटिव अनुबंध का पुनर्गठन किया जाता है, वहां निम्नलिखित निर्देश लागू होंगे:



- (1) मूल अनुबंध के किसी भी पैरामीटर में किसी भी बदलाव को पुनर्गठन के रूप में माना जाएगा.
 - (2) पुनर्गठन की तारीख पर अनुबंध के मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मूल्य में परिवर्तन नकद निपटान होना चाहिए.
 - (3) डेरिवेटिव अनुबंध का पुनर्गठन प्रचलित बाजार दरों पर किया जाएगा, न कि ऑफ-मार्केट दरों के आधार पर.
45. यदि कोई बैंक हेजिंग डेरिवेटिव अनुबंध के काल्पनिक जोखिम को कम करने के लिए ग्राहकों की वरीयता के आधार पर, परिपक्वता से पहले आंशिक रूप से या पूरी तरह से डेरिवेटिव अनुबंध को समाप्त करता है, तो अनुमानित जोखिम में इस तरह की कमी को डेरिवेटिव अनुबंध के पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि मूल अनुबंध के अन्य सभी पैरामीटर अपरिवर्तित रहें.
46. ऐसे मामलों में, यदि डेरिवेटिव अनुबंध का एमटीएम मूल्य नकद निपटान नहीं है, तो बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे डेरिवेटिव अनुबंधों (विदेशी मुद्रा अग्रेषण अनुबंधों सहित) के क्रिस्टलीकृत एमटीएम की किश्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है:
1. एक बैंक किश्तों में पुनर्भुगतान की अनुमति केवल तभी देगा जब ग्राहक द्वारा पुनर्भुगतान की उचित निश्चितता हो.
 2. चुकोती अवधि अनुबंध की परिपक्वता तिथि से आगे नहीं बढ़ेगी.
 3. क्रिस्टलीकृत एमटीएम के लिए पुनर्भुगतान किस्तें अनुबंध की शेष परिपक्वता पर समान रूप से प्राप्त की जाएंगी और इसकी अवधि एक तिमाही में कम से कम एक बार होगी.



अध्याय IV - अतिरिक्त प्रावधान

ए. समाधान योजना के कार्यान्वयन में विलंब - अतिरिक्त प्रावधान

47. जहां पैराग्राफ 39 और 40 में निर्दिष्ट उधारकर्ता के संबंध में एक व्यवहार्य समाधान योजना नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर लागू नहीं की जाती है, उधारकर्ता के लिए एक्सपोजर करने वाला बैंक निम्नानुसार अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान करेगा :

व्यवहार्य आरपी के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा	यदि आरपी को समय-सीमा के भीतर लागू नहीं किया जाता है तो कुल बकाया (फंड आधारित और गैर-निधि आधारित) के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान किए जाएंगे
समीक्षा अवधि समाप्त होने से 180 दिन	20 प्रतिशत
समीक्षा अवधि शुरू होने से 365 दिन	15 प्रतिशत (यानी 35 प्रतिशत का कुल अतिरिक्त प्रावधान)

48. अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान निम्नलिखित में से उच्चतर के अलावा किए जाएंगे, बशर्ते कि कुल प्रावधानों को कुल बकाया के 100 प्रतिशत तक सीमित किया जा रहा हो:

4. पहले से ही धारित *उपबंध, या,*

5. *उधारकर्ता खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए जाने वाले आवश्यक प्रावधान.*

49. अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान उन मामलों में भी किए जाने की अपेक्षा होगी जहां उधारकर्ता के संबंध में वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है, जब तक कि वसूली की कार्यवाही पूरी तरह से पूरी नहीं हो जाती है.



50. पैराग्राफ 47 में निर्दिष्ट अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधानों को निम्नानुसार उलट दिया जा सकता है:

6. जहां समाधान योजना में उधारकर्ता द्वारा केवल अतिदेय राशि का भुगतान शामिल है - अतिरिक्त प्रावधानों को केवल तभी उलट दिया जा सकता है जब उधारकर्ता सभी निर्दिष्ट ऋणदाताओं के साथ अतिदेय राशि के भुगतान की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए डिफॉल्ट नहीं है;
7. जहां समाधान योजना में दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के बाहर स्वामित्व में पुनर्गठन/परिवर्तन शामिल है - समाधान योजना के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त प्रावधानों को वापस किया जा सकता है;
8. जहां दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत समाधान किया जाता है - किए गए अतिरिक्त प्रावधानों में से आधे को दिवाला आवेदन दाखिल करने पर वापस लिया जा सकता है और शेष अतिरिक्त प्रावधानों को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया में उधारकर्ता के प्रवेश पर वापस लिया जा सकता है, या,
9. जहां ऋण/वसूली कार्यवाही का असाइनमेंट शुरू किया जाता है - ऋण/वसूली के असाइनमेंट के पूरा होने पर अतिरिक्त प्रावधानों को उलट दिया जा सकता है.



अध्याय V – पुनर्चना के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंड

ए. प्रयोज्यता

51. इस अध्याय के प्रावधान सभी पुनर्गठन पर लागू होंगे, जिनमें दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत किए गए पुनर्गठन भी शामिल हैं.

बी. पुनर्गठन के बाद परिसंपत्ति वर्गीकरण

52. 'मानक' के रूप में वर्गीकृत खाते को बैंक द्वारा पुनर्गठन के बाद तुरंत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में डाउनग्रेड किया जाएगा, अर्थात्, 'उप-मानक'.
53. बैंक द्वारा पुनर्गठन के बाद गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत खाते का पुनर्गठन से पहले के समान परिसंपत्ति वर्गीकरण जारी रहेगा.
54. उपरोक्त दोनों मामलों में, परिसंपत्ति वर्गीकरण [भारतीय रिजर्व बैंक \(लघु वित्त बैंक - आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान\) निर्देश, 2025](#) में निहित मौजूदा परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार उम्र बढ़ने के मानदंडों द्वारा नियंत्रित किया जाता रहेगा.

सी. अतिरिक्त वित्त

55. समाधान योजना के तहत अनुमोदित किसी भी अतिरिक्त वित्त (दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी समाधान योजना सहित) को बैंक द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के तहत निगरानी अवधि के दौरान मानक परिसंपत्ति के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते खाता निगरानी अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन प्रदर्शित करता हो.



56. यदि पुनर्गठित परिसंपत्ति निगरानी अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन करने में विफल रहती है या निगरानी अवधि के अंत में उन्नयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती है, तो अतिरिक्त वित्त को उसी परिसंपत्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जो बैंक द्वारा पुनर्गठित ऋण के रूप में किया जाता है.
57. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दिवाला कार्यवाही से गुजरने वाले उधारकर्ताओं को निर्दिष्ट ऋणदाताओं द्वारा दिए गए किसी भी अंतरिम वित्त [जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 (15) में परिभाषित किया गया है] को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में परिभाषित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान मानक परिसंपत्ति के रूप में माना जा सकता है।.

डी. संतोषजनक प्रदर्शन के बाद परिसंपत्ति वर्गीकरण उन्नयन

58. बैंक द्वारा पुनर्गठन पर एक ही श्रेणी में रखे गए गैर-निष्पादित और गैर-निष्पादित खातों के रूप में वर्गीकृत मानक खातों को केवल तभी अपग्रेड किया जा सकता है जब खाते में सभी बकाया ऋण/ऋण सुविधाएं निगरानी अवधि के दौरान सभी निर्दिष्ट ऋणदाताओं के संबंध में 'संतोषजनक प्रदर्शन' प्रदर्शित करती हों.

बशर्ते कि खाते को आरपी की शर्तों के तहत अधिस्थगन की सबसे लंबी अवधि के साथ ऋण सुविधा पर ब्याज या मूलधन (जो भी बाद में हो) के पहले भुगतान के प्रारंभ से एक वर्ष से पहले अपग्रेड नहीं किया जा सकता है.

59. पैराग्राफ 58 में आवश्यकता के बावजूद, एक एमएसएमई खाता जहां वाणिज्यिक बैंकों (एसएफबी सहित, लेकिन पीबी, लैब और आरआरबी को छोड़कर) का कुल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से कम है, को 'मानक' में अपग्रेड करने के लिए केवल तभी विचार किया जा



सकता है जब वह उस विशेष बैंक के लिए निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन प्रदर्शित करता है.

60. पैराग्राफ 58 में आवश्यकता के अलावा, उन खातों के लिए जहां समाधान योजना के कार्यान्वयन के समय निर्दिष्ट ऋणदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹100 करोड़ और उससे अधिक है, संतोषजनक प्रदर्शन के प्रदर्शन के अलावा, उन्नयन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए , उधारकर्ता की ऋण सुविधाओं को भी निवेश ग्रेड (बीबीबी- या बेहतर) के रूप में दर्जा दिया जाएगा। उन्नयन के समय, बैंक ऋण रेटिंग के प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा.

बशर्ते कि 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले खातों को दो रेटिंग की आवश्यकता होगी, 500 करोड़ रुपये से कम के खातों को एक रेटिंग की आवश्यकता होगी।.

बशर्ते कि यदि रेटिंग आवश्यक संख्या से अधिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से प्राप्त की जाती है, तो ऐसी सभी रेटिंग उन्नयन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए खाते के लिए निवेश ग्रेड होगी.

स्पष्टीकरण: दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट ये रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सामान्य रेटिंग होंगी न कि पैराग्राफ 32 में निर्दिष्ट स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन .

61. यदि एमएसएमई के अलावा कोई अन्य उधारकर्ता जहां वाणिज्यिक बैंकों (एसएफबी सहित, लेकिन पीबी, लैब और आरआरबी को छोड़कर) का कुल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से कम है, निगरानी अवधि के दौरान सभी निर्दिष्ट ऋणदाताओं के संबंध में संतोषजनक प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो परिसंपत्ति वर्गीकरण उन्नयन इन निर्देशों के तहत या दिवाला और



दिवालियापन संहिता के तहत एक नए पुनर्गठन/स्वामित्व में परिवर्तन के कार्यान्वयन के अधीन होगा, 2016.

ई. निगरानी अवधि के बाद उधारकर्ता द्वारा डिफॉल्ट

62. निर्दिष्ट अवधि के अंत से पहले परिसंपत्ति वर्गीकरण में उन्नयन के बाद किसी भी निर्दिष्ट ऋणदाता के साथ किसी भी ऋण सुविधा में उधारकर्ता द्वारा किसी भी चूक के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर एक नई समाधान योजना को लागू करने की आवश्यकता होगी क्योंकि किसी भी चूक के लिए आवश्यक होगा.

एफ. पुनर्गठन के बाद प्रावधान

63. एक खाता जिसे पुनर्गठित किया गया है, वह [भारतीय रिजर्व बैंक \(लघु वित्त बैंक - आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान\) निर्देश, 2025](#) में निर्धारित परिसंपत्ति वर्गीकरण श्रेणी के अनुसार प्रावधान को आकर्षित करेगा।.
64. एक बैंक समीक्षा अवधि के अंत में पैराग्राफ 61 और 62 में निर्दिष्ट खाते के लिए 15 प्रतिशत का अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान करेगा.
65. उपरोक्त पैरा 64 के अनुसार बैंक द्वारा पुनर्गठित परिसंपत्तियों पर रखे गए विशिष्ट प्रावधानों को तब उलट दिया जा सकता है जब खातों को मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जाता है.
66. पैरा 64 के तहत अपेक्षित अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधानों के साथ-साथ अन्य अतिरिक्त प्रावधानों को बैंक द्वारा पैरा 50 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार वापस किया जा सकता है.



67. दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान , अंतरिम वित्त के लिए प्रावधान [भारतीय रिजर्व बैंक \(लघु वित्त बैंक - आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान\) निर्देश, 2025](#) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा.
68. इसके बाद, निर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन पर, ऐसे अंतरिम वित्त का उपचार पैराग्राफ 55 और 56 के अनुसार अतिरिक्त वित्त पर लागू मानदंडों के अनुसार किया जाएगा
69. उधारकर्ताओं के खातों के संबंध में जहां ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित एक अंतिम समाधान योजना, निर्णय प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए समाधान पेशेवर द्वारा प्रस्तुत की गई है (दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 30 (6) के अनुसार), एक बैंक योजना प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए आरपी के इस तरह के प्रस्तुतीकरण की तारीख तक आयोजित प्रावधानों को रोक सकता है या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 31 (1) के संदर्भ में निर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से 90 दिनों तक, जो भी पहले हो.
- बशर्ते कि* ऐसे मामलों में जहां आयोजित प्रावधान अपेक्षित आवश्यक प्रावधान से कम है, एक बैंक कमी की सीमा तक अतिरिक्त प्रावधान करेगा.
70. पैराग्राफ 70 के अनुसार प्रावधान की मात्रा को फ्रीज करने की सुविधा केवल उन मामलों में उपलब्ध होगी जहां निर्णायक प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए योजना प्रस्तुत करने की तारीख को बैंक द्वारा आयोजित प्रावधान अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन पर सामान्य पाठ्यक्रम में आयोजित किए जाने के लिए अपेक्षित प्रावधान से अधिक है,



लेनदारों की समिति/निर्णायक प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की रूपरेखा और मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए.

71. पैरा 70 के होते हुए भी, कोई बैंक इस स्तर पर निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने की तारीख को धारित अतिरिक्त प्रावधानों को वापस नहीं लेगा.
72. पैराग्राफ 70 में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के बाद, प्रावधान [भारतीय रिजर्व बैंक \(लघु वित्त बैंक - आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान\) निर्देश, 2025](#) में आवश्यकताओं के अनुसार होगा.
73. पैराग्राफ 70 में अनुमत प्रावधानों को फ्रीज करने की सुविधा तुरंत समाप्त हो जाएगी यदि निर्णायक प्राधिकरण इस प्रकार प्रस्तुत समाधान योजना को अस्वीकार कर देता है, और ऐसे उधारकर्ता के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण मौजूदा परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा शासित होता रहेगा.

जी. आय पहचान

74. 'मानक आस्तियां' के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के संबंध में ब्याज आय को प्रोद्घवन आधार पर मान्यता दी जा सकती है और 'गैर-निष्पादित आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के संबंध में ब्याज आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी.
75. उन खातों में अतिरिक्त वित्त के मामले में जहां पूर्व-पुनर्गठन सुविधाओं को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ब्याज आय को बैंक द्वारा केवल नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी, सिवाय इसके कि जब पुनर्गठन स्वामित्व में परिवर्तन के साथ हो.



एच. स्वामित्व में परिवर्तन

76. ऋण लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में, स्वामित्व में परिवर्तन लागू होने के बाद संबंधित ऋणी संस्थाओं की ऋण सुविधाओं को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत या इन निर्देशों के तहत बैंक द्वारा 'मानक' के रूप में जारी रखा जा सकता है/अपग्रेड किया जा सकता है.

77. यदि इन निर्देशों के तहत स्वामित्व में परिवर्तन लागू किया जाता है, तो 'मानक' के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

1. बैंक इस संबंध में आवश्यक सावधानी बरतना और स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना चाहिए कि अधिग्रहणकर्ता दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29 ए के अनुसार अयोग्य घोषित व्यक्ति नहीं है.
2. बैंक स्पष्ट रूप से यह स्थापित करेगा कि 'नया प्रवर्तक' भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018 में परिभाषित मौजूदा प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह का कोई व्यक्ति/संस्था/सहायक कंपनी/सहयोगी आदि (घरेलू और विदेशी) नहीं है।.
3. नए प्रवर्तक के पास चुकता इक्विटी पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत और साथ ही उधारकर्ता इकाई के मतदान अधिकार होंगे और वह उधारकर्ता इकाई का सबसे बड़ा शेयरधारक होगा.
4. कंपनी अधिनियम, 2013 में 'नियंत्रण' की परिभाषा / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी विनियमों/किसी भी अन्य लागू विनियमों/लेखा मानकों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार नया प्रवर्तक उधारकर्ता इकाई के 'नियंत्रण' में होगा.



5. पैराग्राफ 39 के अनुसार समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए शर्तों का अनुपालन किया जाता है.

78. स्वामित्व में परिवर्तन पर, उधार लेने वाली इकाई के सभी बकाया ऋण/ऋण सुविधाओं को निगरानी अवधि के दौरान सभी निर्दिष्ट ऋणदाताओं के संबंध में संतोषजनक प्रदर्शन प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है.
79. यदि खाता निगरानी अवधि के दौरान किसी भी समय संतोषजनक प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो यह एक नई समीक्षा अवधि शुरू करेगा।
80. उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन की तारीख के अनुसार उक्त खाते के विरुद्ध बैंक द्वारा धारित प्रावधानों की मात्रा (अतिरिक्त प्रावधानों को छोड़कर) को निगरानी अवधि की समाप्ति के बाद ही प्रत्यासित किया जा सकता है, बशर्ते कि इसके दौरान संतोषजनक निष्पादन हो।
81. यदि प्रमोटरों के शेयरों को भारतीय प्रतिभूतियों और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के तहत अनिवार्य लॉक-इन अवधि के दौरान किसी बैंक के साथ गिरवी रखा गया है, और कंपनी द्वारा चूक के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा लॉक-इन अवधि के दौरान गिरवी रखा जाता है, तो ऐसे शेयरों को बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन बैंक के हाथों में लॉक-इन जारी रहेगा। शेष लॉक-इन अवधि.



अध्याय VI - पुनर्गठन के विशेष मामले

ए. बिक्री और पट्टा-वापसी (लीजबैक) लेनदेन

82. एक उधारकर्ता की संपत्ति की बिक्री और लीजबैक लेनदेन या समान प्रकृति के अन्य लेनदेन को परिसंपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से पुनर्गठन की घटना के रूप में माना जाएगा और विक्रेता के अवशिष्ट ऋण के साथ-साथ खरीदार के ऋण के संबंध में बैंक की पुस्तकों में प्रावधान किया जाएगा यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

1. *संपत्ति का विक्रेता वित्तीय कठिनाई में है;*
2. *विशिष्ट परिसंपत्ति से खरीदार के राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी 50 प्रतिशत से अधिक, विक्रेता से नकदी प्रवाह पर निर्भर करता है; तथा*
3. *विशिष्ट परिसंपत्ति की खरीद के लिए खरीदार द्वारा लिए गए ऋणों का 25 प्रतिशत या उससे अधिक ऋणदाताओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है जिनके पास पहले से ही विक्रेता के लिए ऋण जोखिम है.*

बी. एक्सपोजर का पुनर्वित्त

83. यदि उधार/निर्यात अग्रिम (किसी भी मुद्रा में मूल्यवर्गित, जहां भी अनुमति हो) उसी / अन्य मुद्रा में मूल्यवर्ग के ऋणों के पुनर्भुगतान/पुनर्वित्त के उद्देश्य से प्राप्त किए जाते हैं:

1. *एक ऋणदाता से जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा है (जहां अनुमति है); या*
2. *भारतीय बैंकिंग प्रणाली से गारंटी / स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट / लेटर ऑफ कम्फर्ट आदिके रूप में समर्थन (जहां अनुमति हो) के साथ,*



इस तरह की घटनाओं को बैंक द्वारा 'पुनर्गठन' के रूप में माना जाएगा यदि संबंधित उधारकर्ता वित्तीय कठिनाई में है।

सी. ऐसे उधारकर्ता जिन्होंने धोखाधड़ी/दुर्भावना/जानबूझकर चूक की है

84. जिन उधारकर्ताओं ने धोखाधड़ी/कदाचार/जानबूझकर चूक की है और साथ ही कोई भी इकाई जिसके साथ विलफुल डिफॉल्टर जुड़ा हुआ है, वे पुनर्गठन के लिए अपात्र रहेंगे।
85. तथापि, ऐसे मामलों में जहां मौजूदा प्रवर्तकों को पैराग्राफ 77 के उप-पैराग्राफ (1) से (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले नए प्रवर्तकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, और उधारकर्ता कंपनी को ऐसे पूर्ववर्ती प्रवर्तकों/प्रबंधन से पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है, तो बैंक पूर्ववर्ती प्रवर्तकों/प्रबंधन के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई जारी रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उनकी व्यवहार्यता के आधार पर ऐसे खातों की पुनर्संरचना पर विचार कर सकता है।
86. इरादतन चूककर्ता या कोई भी संस्था जिसके साथ एक इरादतन चूककर्ता जुड़ा हुआ है, [भारतीय रिजर्व बैंक \(लघु वित्त बैंक - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निष्पादन\) के निदेश 2025](#) के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक उपायों के अध्यधीन, इरादतन चूककर्ताओं की सूची से इरादतन चूककर्ताओं के नाम को हटाने के बाद पुनर्गठन के लिए पात्र होगा।

डी. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना

87. समझौता निपटान का उद्देश्य बैंक के सर्वोत्तम हित में कम से कम खर्च पर संकटग्रस्त उधारकर्ता से संभावित वसूली को अधिकतम करना होगा।



88. अधिकार के मामले के रूप में उधारकर्ताओं के लिए समझौता निपटान उपलब्ध नहीं है; बल्कि यह एक विवेक है जिसका प्रयोग बैंक द्वारा अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर किया जाता है.
89. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे खाते में डालने वाले समझौते बैंक और उधारकर्ता के बीच भविष्य में आकस्मिक प्राप्तियों या बैंक द्वारा वसूली से संबंधित किसी भी पारस्परिक रूप से सहमत संविदात्मक प्रावधानों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बिना होंगे, बशर्ते कि ऐसे दावों को निपटान के समय या बाद में ऐसी प्राप्तियों की वास्तविक प्राप्ति तक बैंक की बैलेंस शीट पर किसी भी तरह से मान्यता नहीं दी जा रही हो.
- बशर्ते कि बैंक की तुलन-पत्र पर मान्यता प्राप्त ऐसे किसी भी दावे को पुनर्गठन के रूप में माना जाएगा.*
90. पैराग्राफ 89 के बावजूद, समझौता निपटान जहां सहमत निपटान राशि के भुगतान का समय तीन महीने से अधिक है, उन्हें पुनर्गठन के रूप में माना जाएगा.
91. उधारकर्ता के साथ आंशिक निपटान से जुड़ी कोई भी व्यवस्था भी पुनर्गठन की परिभाषा के अंतर्गत आएगी, और उस पर लागू प्रावधानों द्वारा शासित होगी.
92. तकनीकी बट्टे खाते में डालना एक बैंक द्वारा अशोध्य ऋणों की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए की जाने वाली एक लेखांकन प्रक्रिया है, जिन्हें या तो वसूली योग्य नहीं माना जाता है या जिनकी वसूली से ऋणदाताओं के अनुपातहीन संसाधनों का उपभोग होने की संभावना होती है। हालांकि, इस तरह के तकनीकी राइट-ऑफ में उधारकर्ता के खिलाफ दावों की कोई छूट नहीं होती है और इस प्रकार बैंक के वसूली के अधिकार को किसी भी तरह से कम नहीं किया जाएगा।



उधारकर्ताओं के कानूनी दायित्व के साथ-साथ उनके लिए इस तरह की चूक की लागत तकनीकी बट्टे खाते में डालने से पहले की स्थिति की तुलना में अपरिवर्तित रहती है।

93. आंशिक तकनीकी बट्टे खाते में डालने के मामले में, प्रावधान और परिसंपत्ति वर्गीकरण सहित अवशिष्ट जोखिम के संबंध में विवेकपूर्ण आवश्यकताएं, मूल एक्सपोजर के संदर्भ में होंगी।

बशर्ते कि आंशिक तकनीकी बट्टे खाते में डालने वाली राशि सहित प्रावधान की राशि मौजूदा प्रावधान आवश्यकताओं को पूरा करेगी, जैसा कि परिसंपत्ति के सकल मूल्य पर गणना की गई है।

94. किसी विशेष प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे खाते में डालने के संबंध में, कम से कम त्रैमासिक आधार पर अगले उच्च प्राधिकरण को एक रिपोर्टिंग तंत्र होगा।

बशर्ते कि एमडी और सीईओ/बोर्ड स्तर की समिति द्वारा अनुमोदित समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ की सूचना बोर्ड को दी जाएगी।

95. बोर्ड एक उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रारूप को अनिवार्य करेगा ताकि कम से कम निम्नलिखित पहलुओं का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा सके:

1. *समझौता निपटान और/या तकनीकी बट्टे खाते में डालने वाले खातों की संख्या और राशियों की संख्या में रुझान;*
2. *(1) में से, धोखाधड़ी, लाल-ध्वजांकित, जानबूझकर चूक और त्वरित मृत्यु दर खातों के रूप में वर्गीकृत खातों का अलग-अलग विवरण;*
3. *राशि-वार, स्वीकृति प्राधिकरण-वार, और ऐसे खातों का व्यापार खंड/परिसंपत्ति-वर्ग-वार समूहीकरण;*



3. तकनीकी रूप से बड़े खाते में डाले गए खातों में वसूली की सीमा.

96. समझौता निपटान के अधीन उधारकर्ताओं के संबंध में, बैंक द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं को नए ऋण प्रदान करने से पहले संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों द्वारा निर्धारित एक कूलिंग पीरियड होगा.

बशर्ते कि कृषि ऋण जोखिम के अलावा अन्य एक्सपोजर के संबंध में कूलिंग अवधि 12 महीने की सीमा के अधीन होगी, जिसमें बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के संदर्भ में उच्च कूलिंग अवधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा.

बशर्ते कि कृषि ऋण जोखिम के लिए शीतलन अवधि बैंक द्वारा उनके संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार निर्धारित की जाएगी.

स्पष्टीकरण: उपरोक्त उद्देश्य के लिए कृषि ऋण [भारतीय रिजर्व बैंक \(लघु वित्त बैंक – आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान\) निर्देश, 2025](#) में सूचीबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण को संदर्भित करेगा।.

97. तकनीकी बड़े खाते में डाले जाने वाले एक्सपोजर के संबंध में अपनाई जाने वाली कूलिंग अवधि बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होगी.
98. एक बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विलफुल डिफॉल्टर या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में समझौता निपटान या तकनीकी बड़े खाते में डाल सकता है.
99. [भारतीय रिजर्व बैंक \(वाणिज्यिक बैंकों \(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन\) निर्देश, 2024](#) और भारतीय रिजर्व बैंक (लघु वित्त



बैंक - विलफुल डिफॉल्टरों और बड़े डिफॉल्टरों का उपचार) निर्देश, 2025 के संदर्भ में धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक उपाय क्रमशः, उन मामलों में लागू रहेगा जहां कोई बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के साथ समझौता समझौता करता है, और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में पैराग्राफ 96 और 97 में निर्दिष्ट शीतलन अवधि ऐसे दंडात्मक उपायों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगी.

एफएक्यू 1: सार्वजनिक नीति के परिप्रेक्ष्य में, किसी बैंक को धोखाधड़ी या विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के साथ समझौता समझौता करने की अनुमति देने का क्या औचित्य है?

प्राथमिक नियामक उद्देश्य एक बैंक को बिना किसी देरी के डिफॉल्ट धन की वसूली करने के लिए कई रास्ते सक्षम करना है। समय मूल्य हानि के अलावा, अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप परिसंपत्ति मूल्य में गिरावट आती है जो अंतिम वसूली में बाधा डालती है। इन निदेशों के तहत समझौता निपटान को एक वैध समाधान तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं से वसूली की बात आने पर बैंक के लिए अनिवार्यताएं अलग नहीं होती हैं। कानूनी कार्यवाही के कारण समाधान के बिना बैंक की बैलेंस शीट पर इस तरह के एक्सपोजर को जारी रखने से बैंक के फंड को एक अनुत्पादक संपत्ति में बंद कर दिया जाएगा, जो एक वांछनीय स्थिति नहीं होगी। जब तक बड़ी नीतिगत चिंताओं का उपयुक्त रूप से समाधान किया जाता है और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाइयों की लागत को अपराधियों द्वारा वहन किया जाता है, तब तक किसी बैंक द्वारा शीघ्र वसूली एक पसंदीदा विकल्प होना चाहिए, जो सुरक्षा उपायों के अधीन है। इसके अलावा, धोखाधड़ी या जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में



वर्गीकृत उधारकर्ताओं के खिलाफ चल रही या शुरू की जाने वाली आपराधिक कार्यवाही जारी रहने से यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के अपराधी बच न जाएँ।

एफएक्यू 2. किसी बैंक को स्वामित्व में परिवर्तन के मामले को छोड़कर, धोखाधड़ी या विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ता खातों का पुनर्गठन करने की अनुमति नहीं है। ऐसे उधारकर्ताओं के लिए समझौता निपटान के लिए एक अलग उपचार क्यों निर्धारित किया जाता है?

सामान्य रूप से पुनर्गठन में एक बैंक को पुनर्गठन के बाद भी उधारकर्ता इकाई के साथ निरंतर जोखिम होता है और इसलिए, धोखाधड़ी या विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के मामले में, बैंक को उधारकर्ता इकाई के साथ अपने ऋण संबंध को जारी रखने की अनुमति देना नैतिक खतरे से भरा होगा। दूसरी ओर, एक समझौता निपटान में उधारकर्ता के साथ बैंक की पूरी तरह से अलगाव शामिल होता है। इसलिए, किसी बैंक को उनके वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार उधारकर्ताओं के साथ समझौता करने की अनुमति देने से वसूली की संभावनाएं बढ़ेंगी।

100. इन निदेशों के तहत उधारकर्ताओं के साथ समझौता समझौता लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
101. जहां कहीं भी किसी बैंक ने न्यायिक मंच के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की थी और यह ऐसे न्यायिक मंच के समक्ष लंबित है, उधारकर्ता के साथ किया गया कोई भी समझौता संबंधित न्यायिक प्राधिकारियों से सहमति डिक्री प्राप्त करने के अधीन होगा।
102. पैराग्राफ 87 से 101 में निहित आवश्यकताओं के अलावा, लोक अदालतों के माध्यम से बैंक द्वारा किए गए समझौता निपटान के मामलों में निम्नलिखित लागू होंगे:



1. सिविल न्यायालयों द्वारा आयोजित लोक अदालतों को भेजे जाने वाले मामलों की मौद्रिक सीमा 20 लाख रुपये होगी.
2. 10 लाख रुपए और उससे अधिक के मामलों के समाधान के लिए डीआरटी/डीआरएटी द्वारा आयोजित लोक अदालतों में भाग लेने की अनुमति बैंक को दी जाती है.
3. एक बैंक को 10 लाख रुपये से कम के व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण या आवास ऋण की वसूली के लिए लोक अदालतों के मंच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

ई. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित खातों का समाधान

103. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बैंक द्वारा ऋणों की पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश, 2018 में निहित अनुदेशों का पालन किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जिसमें परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान शामिल हैं.

एफ. कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं

104. इस पैराग्राफ 106 से 121 में निहित निर्देश उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जहां 1 अक्टूबर, 2025 तक वित्तीय समापन हासिल कर लिया गया है, जिसके लिए 1 अक्टूबर, 2025 से पहले प्रचलित परियोजना वित्त पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश, जिन्हें अन्यथा निरस्त माना जाएगा, लागू होंगे.
105. पैराग्राफ 104 में दिए गए निर्देशों के बावजूद, 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद ऐसी परियोजनाओं में ऋण अनुबंध में एक नई क्रेडिट घटना और/या भौतिक नियमों और शर्तों



में परिवर्तन का कोई भी संकल्प पैराग्राफ 106 से 124 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा.

106. एक बैंक परियोजना के प्रदर्शन और निरंतर आधार पर तनाव के किसी भी निर्माण की निगरानी करेगा और उससे पहले ही एक समाधान योजना शुरू करने की उम्मीद की जाएगी.

107. निर्माण चरण के दौरान किसी भी ऋणदाता के साथ ऋण घटना की घटना, इन निर्देशों के अध्याय III के संदर्भ में एक सामूहिक समाधान को ट्रिगर करेगी .

स्पष्टीकरण: इन निर्देशों के अध्याय III में 'डिफॉल्ट' के संदर्भ को परियोजना वित्त खातों के प्रयोजन के लिए 'क्रेडिट इवेंट' के रूप में पढ़ा जाएगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो.

108. बैंक के साथ इस तरह की किसी भी ऋण घटना की सूचना बैंक द्वारा निर्धारित साप्ताहिक के साथ-साथ पैराग्राफ 17 और 18 के अनुपालन में सीआरआईएलसी-मुख्य रिपोर्ट में बड़े ऋण पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को सूचित किया जाएगा ।

109. एक बैंक, जो एक कंसोर्टियम / बहु ऋण व्यवस्था का हिस्सा है, इस तरह के ऋण घटना की घटना की सूचना कंसोर्टियम / बहु ऋण व्यवस्था के अन्य सभी सदस्यों को भी देगा.

110. पैराग्राफ 108 के अनुसार सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग पर निर्देश उचित समय पर जारी किए जाएंगे.

111. एक बैंक समीक्षा अवधि के दौरान उधारकर्ता खाते की प्रथम दृष्टया समीक्षा करेगा.

112. समीक्षा अवधि के दौरान बैंक का संचालन, जिसमें अंतर लेनदार करार (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना शामिल है, और समाधान योजना को लागू करने का निर्णय, जहां भी



आवश्यक हो, इन निर्देशों के अध्याय III द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो.

113. यदि मूल/विस्तारित डीसीसीओ के विस्तार से जुड़ी एक समाधान योजना, जैसा भी मामला हो, एक परियोजना वित्त खाते में लागू की जाती है, जिसे मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - ऋण सुविधाएं) निर्देश, 2025 में परियोजना वित्त की मंजूरी, संवितरण और निगरानी के लिए निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवेकपूर्ण शर्तों को पूरा करता है/ऐसे खाते के परिसंपत्ति वर्गीकरण को मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा, बशर्ते कि परिकल्पित समाधान योजना शुरू से ही निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप हो:

1. अनुमत डीसीसीओ स्थगन - मूल / विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित समय सीमा के भीतर समान या कम अवधि (संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची की प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि सहित) के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची में परिणामी बदलाव के साथ बढ़ाया जाता है:

	अवसंरचना परियोजनाएं	गैर-अवसंरचनागत परियोजनाएं (सीआरई और सीआरई-आरएच सहित)
मूल डीसीसीओ से डीसीसीओ को स्थगित करने की अनुमति	3 साल तक	2 साल तक



स्पष्टीकरण: सीआरई और सीआरई-आरएच परियोजनाओं के लिए, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के सभी प्रावधानों (जैसा कि समय-समय पर अपडेट किया जाता है) का अनुपालन किया जाना है।

2. लागत में वृद्धि – एक बैंक, एक समाधान योजना के हिस्से के रूप में, उपरोक्त उप पैराग्राफ (1) के अनुपालन में अनुमत डीसीसीओ आस्थगन से जुड़ी लागत में वृद्धि को वित्तपोषित कर सकता है , और खाते को 'मानक' के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, जैसा कि निम्नानुसार है:

- (i) निर्माण के दौरान ब्याज के अलावा मूल परियोजना लागत के अधिकतम दस प्रतिशत तक लागत में वृद्धि.
- (ii) लागत वृद्धि को वित्तीय समापन के समय बैंक द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत एक स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है और जिसे सुविधा के तहत ड्रा डाउन होने तक बिना किसी अंतराल के लगातार नवीनीकृत किया जाता है.
- (iii) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, ऐसे मामलों में जहां वित्तीय समापन के समय स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा स्वीकृत नहीं की गई थी, या स्वीकृत की गई थी, लेकिन बाद में नवीनीकृत नहीं की गई थी, इस तरह के अतिरिक्त वित्त पोषण की कीमत पूर्व-स्वीकृत स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा पर लागू होने वाले प्रीमियम पर होगी। एक बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण-अनुबंध *शुरू से ही ऐसी* स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा पर प्रभारित किए जाने वाले अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम को निर्दिष्ट करता है, जिसे ऐसी सुविधाओं



की मंजूरी के समय वास्तविक जोखिम मूल्यांकन के आधार पर ऊपर की ओर संशोधित किया जा सकता है.

- (iv) वित्तीय मानदंड जैसे डी/ई अनुपात, बाहरी क्रेडिट रेटिंग (यदि कोई हो) आदि अपरिवर्तित रहते हैं या इस तरह की लागत वृद्धि के बाद बैंक के पक्ष में बढ़ाए जाते हैं.

व्याख्या: उन परियोजनाओं के लिए जहां सभी ऋणदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹100 करोड़ से कम है, आंतरिक क्रेडिट रेटिंग पर विचार किया जा सकता है, यदि परियोजना मूल रूप से बाहरी रूप से क्रेडिट रेट नहीं की गई थी.

3. कार्यक्षेत्र और आकार में परिवर्तन - एक परियोजना वित्त खाता जहां परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि के कारण परियोजना परिव्यय में वृद्धि के कारण डीसीसीओ विस्तार की आवश्यकता होती है, उसे निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने के अधीन 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- (i) मूल परियोजना के संबंध में किसी भी लागत-वृद्धि को छोड़कर परियोजना लागत में वृद्धि, मूल परिव्यय का 25 प्रतिशत या उससे अधिक है, जैसा भी मामला हो.

Illustration I:

परियोजना की मूल लागत – ₹1,000 crore

परियोजना की संशोधित लागत – ₹1,200 crore

लागत में वृद्धि – ₹200 crore i.e., 20%

Attribution of increase in cost

- a. दायरे में बदलाव 18%



b. लागत में वृद्धि 2%

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि केवल 180 करोड़ रुपये (18%) है। चूंकि कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि 18 प्रतिशत है, जो 25 प्रतिशत से कम है, इसलिए कोई आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

Illustration II:

परियोजना की मूल लागत – ₹1,000 crore

परियोजना की संशोधित लागत – ₹1,400 crore

लागत में वृद्धि – ₹400 crore i.e., 40%

Attribution of increase in cost

a. Change in Scope 30%

b. Cost Overrun 10%

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि ₹300 करोड़ (30%) है। चूंकि कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण लागत में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कि 25 प्रतिशत से अधिक है, अस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध होगा।

(ii) बैंक कार्यक्षेत्र का विस्तार और एक नया डीसीसीओ तय करने से पहले परियोजना की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन करता है।

(iii) पुनः रेटिंग (यदि पहले से ही रेट की गई है), नई बाहरी क्रेडिट रेटिंग पिछली बाहरी क्रेडिट रेटिंग से एक पायदान से अधिक कम नहीं है।

बशर्ते कि यदि परियोजना ऋण के दायरे या आकार में वृद्धि के समय अनरेटेड था, तो इसे उन परियोजनाओं के मामले में दायरे या आकार में



ऐसी वृद्धि पर बाहरी रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए जहां सभी ऋणदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹100 करोड़ के बराबर या उससे अधिक है.

114. 'कार्यक्षेत्र में परिवर्तन' के कारण मानक परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ की अनुमति परियोजना के जीवनकाल के दौरान केवल एक बार दी जाएगी.
115. पैरा 113 में विनिर्दिष्ट सभी मामलों में, समाधान योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, समीक्षा अवधि की समाप्ति से 180 दिनों की समाप्ति से पहले सभी ऋणदाताओं के संबंध में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा:
1. ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच आवश्यक समझौतों के निष्पादन/सुरक्षा शुल्क का सृजन/प्रतिभूतियों की पूर्णता सहित सभी आवश्यक दस्तावेज कार्यान्वित की जा रही समाधान योजना के अनुरूप पूरे किए जाते हैं;
 2. नई पूंजी संरचना और/या वित्तपोषण समझौते में परिवर्तन ऋणदाता और उधारकर्ता की पुस्तकों में विधिवत परिलक्षित होते हैं.
116. यदि डीसीसीओ में परिवर्तन से जुड़ी एक समाधान योजना पैराग्राफ 113 और/115 के संदर्भ में सफलतापूर्वक लागू नहीं की जाती है तो खाते को तुरंत एनपीए में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा।.
117. पैराग्राफ 113 का अनुपालन न करने के लिए एनपीए में डाउनग्रेड किए गए परियोजना वित्त खाते को केवल तभी अपग्रेड किया जा सकता है जब खाता वास्तविक डीसीसीओ के बाद संतोषजनक प्रदर्शन करता है.



स्पष्टीकरण: पैराग्राफ 6(14) में परिभाषित संतोषजनक प्रदर्शन इस मामले में लागू होगा.

118. पैराग्राफ 115 का अनुपालन न करने के लिए एनपीए में डाउनग्रेड किए गए परियोजना वित्त खाते को समाधान योजना के सफल कार्यान्वयन पर अपग्रेड किया जा सकता है, बशर्ते कि डीसीसीओ के स्थगन के लिए कोई और अनुरोध प्राप्त न हो.
119. एक परियोजना वित्त खाते के संबंध में आय की मान्यता जहां मूल/विस्तारित डीसीसीओ के विस्तार से जुड़ी एक समाधान योजना इस प्रकार होगी:
1. एक बैंक परियोजना वित्त एक्सपोजर के संबंध में उपचित आधार पर आय को मान्यता दे सकता है जिसे 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
 2. एनपीए के लिए, आय की पहचान [भारतीय रिजर्व बैंक \(लघु वित्त बैंक - आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान\) निर्देश, 2025](#) में निहित निर्देशों के अनुसार होगी.
120. उन खातों के लिए जिन्होंने पैरा 113 से 116 के अनुसार डीसीसीओ स्थगन का लाभ उठाया है और जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एक बैंक अवस्थगन की प्रत्येक तिमाही के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना ऋणों के लिए 0.375% और गैर-बुनियादी ढांचा परियोजना ऋणों (सीआरई और सीआरई-आरएच सहित) के लिए 0.5625% के अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान बनाए रखेगा, स्थगन की प्रत्येक तिमाही के लिए, लागू मानक परिसंपत्ति प्रावधान के अलावा [भारतीय रिजर्व बैंक \(लघु वित्त बैंक - आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान\) निर्देश, 2025](#).

उदाहरण:



अवसंरचना परियोजनाएं	गैर-इन्फ्रा परियोजनाएं (सीआरई और सीआरई-आरएच सहित)
<i>Illustration III:</i> वित्त पोषित बकाया – ₹ 1000 crore मूल डीसीसीओ – January 01, 2026 विस्तारित डीसीसीओ – April 01, 2026 बनाए रखे जाने वाले विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा – ₹3.750 crore	<i>Illustration IV:</i> वित्त पोषित बकाया – ₹ 1000 crore मूल डीसीसीओ – January 01, 2026 विस्तारित डीसीसीओ – April 01, 2026 विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा बनाए रखी जाएगी - 5.625 करोड़ रुपये
<i>Illustration V:</i> वित्त पोषित बकाया – ₹ 1000 crore मूल डीसीसीओ – January 01, 2026 विस्तारित डीसीसीओ – April 01, 2027 बनाए रखे जाने वाले विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 18.750 करोड़ रुपये	<i>Illustration VI:</i> वित्त पोषित बकाया – ₹ 1000 crore मूल डीसीसीओ – January 01, 2026 विस्तारित डीसीसीओ – April 01, 2027 विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा बनाए रखी जाएगी - ₹28.125 करोड़
<i>Illustration VII:</i> वित्त पोषित बकाया – ₹ 1000 crore मूल डीसीसीओ – January 01, 2026 विस्तारित डीसीसीओ – April 01, 2029 आस्ति वर्गीकरण - NPA विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा बनाए रखी जाएगी- ₹ 150 करोड़	<i>Illustration VIII:</i> वित्त पोषित बकाया – ₹ 1000 crore मूल डीसीसीओ – January 01, 2026 विस्तारित डीसीसीओ – April 01, 2028 आस्ति वर्गीकरण - NPA विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा बनाए रखी जाएगी - ₹ 150 करोड़



121. पैरा 120 के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधानों को वाणिज्यिक संचालन शुरू होने पर उलट दिया जाएगा.
122. पैरा 120 में निर्धारित प्रावधान मौजूदा परियोजनाओं के लिए लागू नहीं होंगे जो पैरा 104 में निर्दिष्ट हैं और ऐसे परियोजना ऋण 1 अक्टूबर, 2025 से पहले प्रचलित प्रावधान के उद्देश्य से विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होते रहेंगे, जिन्हें अन्यथा निरस्त माना जाएगा।.
123. पैरा 122 में दिए गए निर्देशों के बावजूद, ऐसी परियोजनाओं में ऋण अनुबंध में एक नई क्रेडिट घटना और/या भौतिक नियमों और शर्तों में परिवर्तन के किसी भी समाधान के मामले में, पैराग्राफ 120 में निर्धारित प्रावधान इन परियोजनाओं पर लागू होंगे जैसे कि इन्हें 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद मंजूरी दी गई थी.
124. 'मानक' (निर्माण या परिचालन चरण) या एनपीए के रूप में वर्गीकृत परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान [भारतीय रिजर्व बैंक \(लघु वित्त बैंक - आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान\) निदेश, 2025](#) में निहित मौजूदा निर्देशों के अनुसार होगा



अध्याय VII - सरकारी ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस)

ए. सरकारी ऋण राहत योजनाओं के संबंध में विवेकपूर्ण व्यवहार (DRS):

125. कोई बैंक सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विशेष डीआरएस में भाग लेने का निर्णय ले सकता है, जो उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर है, जो मौजूदा नियामक मानदंडों के अधीन है.
126. योजना का कोई भी प्रावधान, जो उधारकर्ताओं के दीर्घकालिक हित में या विवेकपूर्ण कारणों से संशोधन की आवश्यकता हो सकता है, को डीआरएस को डिजाइन करते समय परामर्श चरण के दौरान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति / जिला स्तरीय सलाहकार समिति के माध्यम से संबंधित प्राधिकरणों/निकायों के ध्यान में लाया जा सकता है.
127. एक बैंक स्पष्ट रूप से अंतिम बकाया का निर्धारण करेगा जो डीआरएस के तहत कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित उधारकर्ताओं के संबंध में उनकी पुस्तकों में स्पष्ट हो सकता है, जिसमें गैर-निष्पादित खातों में संचित ब्याज भी शामिल है, जब तक कि डीआरएस के तहत बकाया राशि का निपटान नहीं किया जाता है, ताकि सरकार राजकोषीय भागीदारी की सीमा के लिए उपयुक्त रूप से व्यवस्था कर सके.
128. एक बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि डीआरएस के तहत कवर किए जाने वाले उधारकर्ताओं का चयन ऐसी योजनाओं की शर्तों के अनुसार सख्ती से किया जाए ताकि तकनीकी आधार पर अधिकारियों द्वारा बाद में प्रवेश न किए जाने से बचा जा सके.
129. योजना के नियमों और शर्तों के साथ-साथ विवेकपूर्ण पहलुओं, जिसमें नए ऋण देने के लिए कूलिंग पीरियड, क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव आदि शामिल हैं, प्रस्तावित डीआरएस के तहत लाभ



प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता से स्पष्ट सहमति प्राप्त करते समय उधारकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा.

130. डीआरएस के लाभार्थियों के उधारकर्ता खातों में बैंक द्वारा किए गए उपार्जित लेकिन अवास्तविक ब्याज और/या मूलधन के बलिदान की कोई भी छूट, या तो योजना के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में या इसके कार्यान्वयन के बाद, एक समझौता निपटान के रूप में माना जाएगा और पैराग्राफ 87 से 102 में निहित विवेकपूर्ण उपचार को आकर्षित करेगा.

131. यदि डीआरएस के हिस्से के रूप में किसी बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि उधारकर्ता के पूरे बकाया को कवर करती है, जिसमें बैंक द्वारा धन प्राप्त होने की तारीख तक अर्जित मूलधन और ब्याज शामिल है, तो इससे उधारकर्ता के ऋण दायित्वों का समाधान हो जाएगा.

132. ऐसे मामलों में जहां योजना के हिस्से के रूप में बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि उधारकर्ता के पूरे बकाया को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे अवशिष्ट एक्सपोजर (मूलधन और/या उपार्जित ब्याज) होता है, अवशिष्ट एक्सपोजर के परिसंपत्ति वर्गीकरण का मूल्यांकन मूल ऋण अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा.

बशर्ते कि ऐसे मामलों में मूल ऋण अनुबंध के नियमों और शर्तों में किसी भी परिवर्तन/संशोधन का मूल्यांकन इन निर्देशों में परिभाषित पुनर्गठन के परीक्षण के खिलाफ किया जाएगा और इसमें विवेकपूर्ण उपचार को आकर्षित किया जाएगा.

133. ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कोई भी नया ऋण जोखिम प्रासंगिक आंतरिक नीति के तहत बैंक के वाणिज्यिक विवेक के अनुसार होगा, जो मौजूदा लागू नियमों के अधीन होगा.



134. इस योजना के तहत उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण सूचना कंपनियों को बैंक की रिपोर्ट इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित की जाएगी.
135. डीआरएस के कारण सरकार के खिलाफ किसी भी प्राप्य राशि का सृजन नहीं होगा और बैंक द्वारा धन प्राप्त होने तक उधारकर्ता पर जोखिम जारी रहेगा.
136. निधियों की प्राप्ति तक, बैंक आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों सहित विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करना जारी रखेगा, और जहां भी खाते निष्पादित नहीं कर रहे हैं, बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के खिलाफ अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार वसूली उपायों को आगे बढ़ा सकता है.
137. पैरा 125 से 136 में निहित निर्देश 31 दिसंबर, 2024 को या उसके बाद अधिसूचित डीआरएस के संबंध में लागू होंगे और इन निर्देशों में निहित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर निर्देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे.
138. इन अनुदेशों के संदर्भ में, एक परामर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से ऐसे डीआरएस को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय राज्य सरकारों के साथ एक मॉडल प्रचालन प्रक्रिया (एमओपी) भी साझा की गई है ([अनुबंध](#)) ताकि सरकार, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं आदि सहित इसमें शामिल हितधारकों की अपेक्षाओं के किसी भी प्रकार के असंरेखण से बचा जा सके.
139. 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषित राहत उपायों के संबंध में, सरकार से 90 दिनों से अधिक समय से लंबित किसी भी बकाया राशि पर 100 प्रतिशत का विशिष्ट प्रावधान होगा.
140. एक बैंक आवश्यक कार्रवाई करेगा और पैराग्राफ 125 से 139 में निर्दिष्ट देय राशियों के निपटान के लिए संबंधित सरकारों के साथ सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करेगा .



अध्याय VIII: पुनर्रचना के भाग के रूप में अधिग्रहित लिखतों का विवेकपूर्ण निष्पादन

ए. पुनर्रचना के भाग के रूप में अधिग्रहित लिखतों का आस्ति वर्गीकरण

141. पैराग्राफ 141 और 142 उन मामलों पर लागू होंगे जहां पुनर्गठन का एक अधिनियम उधारकर्ता द्वारा जारी की गई नई प्रतिभूतियों का निर्माण करता है जो पूर्व-पुनर्गठित एक्सपोजर के एक हिस्से के बदले में बैंक द्वारा आयोजित किया जाएगा.
142. वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल)/ऋण/इक्विटी लिखत, मूलधन/अवैतनिक ब्याज के रूपांतरण द्वारा बनाए गए ऋण/इक्विटी लिखत, जैसा भी मामला हो, को एक बैंक द्वारा उसी परिसंपत्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्गठित अग्रिम को वर्गीकृत किया गया है.

बी. पुनर्रचना के भाग के रूप में अधिग्रहित लिखतों का प्रावधानीकरण

143. पुनर्रचना के भाग के रूप में अधिग्रहित लिखतों पर लागू प्रावधान किससे अधिक होगा?:
1. आस्ति वर्गीकरण श्रेणी पर लागू प्रावधान जिसमें ऐसे लिखत किसी बैंक द्वारा धारित हैं; या
 2. प्रावधान लागू करने के लिए इस तरह के लिखतों का उचित मूल्यांकन पैरा 144 से 152 में दिया गया है।

सी. पुनर्रचना के भाग के रूप में प्राप्त किए गए लिखतों का मूल्यांकन

144. इसका व्यापक सिद्धांत यह होना चाहिए कि ऋण भुगतान न की जाने वाली आस्तियों के समाधान से उत्पन्न होने वाले साधनों का मूल्यांकन नकदी प्रवाह के रुढ़िवादी मूल्यांकन और उधारकर्ताओं



के दबावग्रस्त नकदी प्रवाह को प्रतिबिंबित करने के लिए उचित छूट दरों पर आधारित होना चाहिए.

145. सांविधिक लेखा परीक्षकों को विशेष रूप से इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसे उपकरणों का मूल्यांकन ऐसे उपकरणों से जुड़े नुकसान के जोखिम को दर्शाता है.
146. ऋण/अर्ध-ऋण(क्वासी डेट)/इक्विटी लिखत भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 में निहित सभी अनुदेशों के अधीन होंगे, जब तक कि वे इन निदेशों के साथ असंगत नहीं हैं:
147. डिबेंचर/बॉन्ड का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 में निहित निर्देशों के अनुसार किया जाएगा.
148. समाधान योजना के हिस्से के रूप में ऋण को जीरो कूपन बॉन्ड (जेडसीबी)/लो कूपन बॉन्ड (एलसीबी) में बदलना और ऐसे उपकरणों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निर्देश, 2025 में निर्धारित किया गया है, जो निम्नलिखित के अधीन है।:
 1. जहां उधारकर्ता उपरोक्त निर्देशों के तहत अपेक्षित सिंकिंग फंड का निर्माण करने में विफल रहता है, ऐसे उधारकर्ता के जेडसीबी/एलसीबी का सामूहिक रूप से मूल्य 1 रुपये होगा।;
 2. पूर्व-निर्दिष्ट टर्मिनल मूल्य के बिना उपकरणों का सामूहिक रूप से मूल्य ₹ 1 होगा.



149. इक्विटी लिखत, जहां मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बाजार मूल्य पर मूल्यवान किया जाएगा, यदि उद्धृत किया गया है, या अन्यथा, निम्नलिखित मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग करके प्राप्त सबसे कम मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए:

1. बही मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन भंडार' पर विचार किए बिना, यदि कोई हो) जिसे कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र से पता लगाया जाना है। जिस तारीख को नवीनतम तुलन पत्र तैयार किया गया है, वह मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र में उपलब्ध नहीं है, तो शेयरों का सामूहिक रूप से मूल्य प्रति कंपनी ₹1 होना चाहिए।
2. रियायती नकदी प्रवाह विधि जहां छूट कारक पुररचना के बाद अवशिष्ट ऋण पर उधारकर्ता को ली जाने वाली वास्तविक ब्याज दर है और इक्विटी के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित किया जाने वाला जोखिम प्रीमियम है। जोखिम प्रीमियम तीन प्रतिशत की सीमा के अधीन होगा और कुल छूट कारक 14 प्रतिशत की सीमा के अधीन होगा। इसके अलावा, परियोजना के उपयोगी आथक जीवन के 85 प्रतिशत के भीतर होने वाले नकदी प्रवाह (प्रचालन के वर्तमान और तत्काल भावी (छह महीने से अधिक नहीं) स्तर से उपलब्ध नकदी प्रवाह) की गणना की जाएगी।

150. इक्विटी लिखत, जहां एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाएगा, यदि उद्धृत किया गया है, या अन्यथा, सामूहिक रूप से ₹1 का मूल्यांकन किया जाएगा।



151. वरीयता शेयरों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 में निहित निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जो निम्नलिखित संशोधनों के अधीन होगा:

1. छूट दर पुनर्चना के बाद अवशिष्ट ऋण पर उधारकर्ता से प्रभारित औसत वास्तविक ब्याज दर के साथ-साथ 1.5 प्रतिशत के मार्क-अप के अधीन होगी.
2. जहां अधिमान्य लाभांश/कूपन बकाया हैं, वहां अर्जित लाभांश/कूपन के लिए कोई ऋण नहीं लिया जाना चाहिए और यदि बकाया एक वर्ष के लिए है, तो 25 प्रतिशत यदि बकाया दो वर्ष के लिए है, तो 25 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए (अर्थात्, दस प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ).

152. यदि किसी बैंक ने समाधान योजना के एक भाग के रूप में ऋण के रूपांतरण पर अउद्धृत लिखतों का अधिग्रहण किया है, और यदि समाधान योजना को कार्यान्वित नहीं माना जाता है, तो ऐसे अउद्धृत लिखतों का सामूहिक रूप से उस समय ₹1 मूल्य होगा, और जब तक समाधान योजना को कार्यान्वित नहीं माना जाता है.

डी. पुनर्चना के भाग के रूप में प्राप्त किए गए लिखतों से आय पहचान

153. एफआईटीएल/ऋण या इक्विटी लिखत द्वारा दर्शाई गई अप्राप्त आय में 'विविध देयता खाता (ब्याज पूंजीकरण)' के प्रविधि वाले खाते में संबंधित क्रेडिट होना चाहिए.

154. एफआईटीएल/ऋण या इक्विटी लिखत द्वारा दर्शाई गई अप्राप्त आय को बैंक द्वारा लाभ और हानि खाते में निम्नानुसार मान्यता दी जा सकती है:

1. एफआईटीएल /ऋण उपकरण: केवल बिक्री या मोचन पर, जैसा भी मामला हो;



2. सूची से इतर इक्विटी / सूचीबद्ध इक्विटी (जहां एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है): केवल बिक्री पर;
3. उद्धृत इक्विटी (जहां मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है): उन्नयन की तारीख को इक्विटी का बाजार मूल्य, ऐसी इक्विटी में परिवर्तित अवास्तविक आय की राशि से अधिक नहीं। इक्विटी के मूल्य में बाद के परिवर्तनों को भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 के अनुसार निपटाया जाएगा.



अध्याय IX – विनियामकीय छूट

ए. आरबीआई विनियमों से छूट

155. ऋण के परिवर्तन के माध्यम से गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के अधिग्रहण को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर प्रतिबंधों और विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गई है.
156. बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों के अधिग्रहण को पूंजी बाजार एक्सपोजर पर विनियामक सीमा/प्रतिबंधों, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतर-समूह एक्सपोजर से छूट दी जाएगी.
157. पैरा 156 के बावजूद, इस तरह के अधिग्रहण के लिए पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सीओ को हर महीने परिसंपत्ति गुणवत्ता पर नियमित डीएसबी विवरणी के साथ रिपोर्ट करने और बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरणों में खातों के लिए नोट में प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी.

बी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के विनियमों से छूट

158. सेबी ने रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार किए गए पुनर्रचना के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) (आईसीडीआर) विनियम, 2018 की आवश्यकताओं से कुछ शर्तों के तहत छूट प्रदान की है.
159. आईसीडीआर विनियम, 2018 के उप-विनियम 158 (6) (ए) में निहित आवश्यकताओं के संदर्भ में, इक्विटी का निर्गम मूल्य नीचे (i) या (ii) से कम होगा:



1. 'संदर्भ तिथि' से पहले छब्बीस सप्ताह के दौरान मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत संबंधित इक्विटी शेयरों के मात्रा (वॉल्यूम) भारित औसत मूल्य के साप्ताहिक उच्च और निम्न का औसत या 'संदर्भ तिथि' से पहले दो सप्ताह के दौरान किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत संबंधित इक्विटी शेयरों की मात्रा भारित औसत कीमतों के साप्ताहिक उच्च और निम्न का औसत, जो भी कम हो; तथा
 2. बही मूल्य: प्रति शेयर बुक वैल्यू की गणना नवीनतम ऑडिट की गई बैलेंस शीट ('पुनर्मूल्यांकन भंडार' पर विचार किए बिना, यदि कोई हो) से की जाएगी जो पहले के पुनर्गठन के बाद नकदी प्रवाह और वित्तीय के लिए समायोजित की जाएगी, यदि कोई हो। जिस तारीख को नवीनतम बैलेंस शीट तैयार की गई है, वह पुनर्गठन की तारीख से 18 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम ऑडिट की गई बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं है, तो शेयरों का सामूहिक रूप से मूल्य प्रति कंपनी ₹1 होना चाहिए।
160. ऋण को इक्विटी में बदलने के मामले में, 'संदर्भ तिथि' वह तारीख होगी जिस पर बैंक पुनर्रचना योजना को मंजूरी देता है। परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को इक्विटी में बदलने के मामले में, 'संदर्भ तिथि' वह तारीख होगी जिस पर बैंक परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को इक्विटी में बदलने की मंजूरी देता है।



अध्याय X - विशेष उपाय

ए. व्यापार राहत उपाय

161. वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के कारण व्यापार व्यवधानों के कारण ऋण अदायगी का भार कम करने और व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक पात्र उधारकर्ताओं को राहत उपाय कर सकते हैं, जैसा कि [भारतीय रिजर्व बैंक \(व्यापार राहत उपाय\) निदेश, 2025 दिनांक 14 नवंबर, 2025](#) के तहत निर्दिष्ट है। निदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपायों के लिए एक परिभाषित सावधि-विधि खंड शामिल है



अध्याय XI - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन एवं बचाव

162. इन निदेशों के जारी होने के साथ, लघु वित्त बैंकों पर लागू दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान से संबंधित मौजूदा निर्देशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि [परिपत्र डीओआर द्वारा सूचित किया गया है। आरआरसी। REC.302/33-01-010/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025।](#) उपरोक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध किसी भी निर्देश, निर्देश और दिशा-निर्देश के माध्यम से पहले ही निरस्त किए गए निर्देश, निर्देश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे.

163. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निर्देशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या की गई या शुरू की गई कोई भी कार्यवाई उसके प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों या स्वीकृतियों को इन निर्देशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके अलावा, इन निर्देशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होगा:

1. उसके तहत प्राप्त, अर्जित या खर्च किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व या दायित्व;
2. इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती या सजा;
3. पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, जब्ती, या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही, या उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और



इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती या सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन निर्देशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था.

बी. अन्य कानूनों की प्रयोज्यता पर रोक नहीं

164. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका अवहेलना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएं

165. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के उपबंधों के आवेदन या व्याख्या में आने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक, यदि वह आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा और रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी.

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध

मॉडल परिचालन प्रक्रिया (सरकारी ऋण राहत योजनाएं)

कवरेज और अर्थ

1. 'ऋण राहत योजनाएं' (डीआरएस) उन योजनाओं को संदर्भित करती हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है और जिनमें वित्तीय प्राधिकरणों द्वारा उधारकर्ताओं के एक विशिष्ट वर्ग के ऋण दायित्वों को कवर करने के लिए निधि प्रदान की जाती है, जिसके लिए विनियमित संस्थाओं (बैंकों) को अपनी बकाया राशि में त्याग/माफी करनी पड़ती है।
2. किसी भी ऐसे ऋण राहत योजना (डीआरएस) की घोषणा/अधिसूचना में उस विशिष्ट दबाव अथवा संकट की स्थिति का उल्लेख होना चाहिए जिसके कारण ऐसे समर्थन की घोषणा करना आवश्यक हुआ है। ऋण प्रयोजनो पर ऐसे डीआरएस के व्यापक प्रभावों को देखते हुए, जबकि व्यापक आधार वाली राहत उपायों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में शुद्ध राजकोषीय समर्थन के माध्यम से हल किया जा सकता है, डीआरएस पर विचार केवल एक अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, जब वित्तीय दबाव को कम करने के अन्य उपाय विफल रहे हों।

अधिसूचना पूर्व परामर्श

3. किसी भी डीआरएस की घोषणा करने से पहले, सरकारें डीआरएस की अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए एक समन्वित कार्य योजना विकसित करने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)/जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के साथ संवाद कर सकती हैं। इन योजनाओं में योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि उधारकर्ताओं की पहचान, प्रभाव आकलन, कार्यान्वयन समयसीमा और उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा सरकार को देय राशियों के निपटान से संबंधित मुद्दों के समाधान आदि को शामिल किया जाना चाहिए।
4. डिजाइन की विशेषताएं यह सुनिश्चित करें कि डीआरएस क्षेत्र/राज्य के वित्तीय स्थिरता पहलुओं को प्रभावित न करें अथवा उधारकर्ता खंडों में नैतिक खतरे पैदा न करें। ऋण निपटान, क्रेडिट जानकारी कंपनियों को रिपोर्टिंग आदि पर प्रासंगिक विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

योजना कानिधीयन

5. किसी भी प्रस्तावित डीआरएस को आवश्यक निपटान राशियों को पूरी तरह से कवर करने के लिए विस्तृत बजटीय प्रावधान/वित्तपोषण पूर्व-निर्धारित रूप से प्रदान किया जा सकता है। जहाँ विनियमित संस्थाओं का सरकार से पूर्ववर्ती डीआरएस योजनाओं से संबंधित देय बकाया है, वहीं नई योजनाओं की घोषणा केवल पूर्णतः पूर्व-निधिक आधार पर ही की जानी चाहिए।

योजना का डिजाइन

6. डीआरएस योजना केवल प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए होनी चाहिए और इसमें समय पर चुकौती करने वालों के विरुद्ध कोई प्रतिबंधात्मक खंड नहीं होना चाहिए। पात्र उधारकर्ताओं को निर्धारित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड होने चाहिए। दाखिल करने, स्वीकृति और निपटान की अंतिम तारीखों सहित महत्वपूर्ण घटनाओं की विस्तृत समयसीमा निर्धारित होनी चाहिए, सरकार द्वारा धनराशि के निपटान में देरी होने पर मुआवजा खंड भी होने चाहिए।



7. ऋण राहत योजना में शामिल किए जा रहे उधारकर्ताओं की सभी बकाया देयताओं, जिसमें सरकार से विनियमित संस्थाओं द्वारा धन राशि प्राप्त होने की तारीख तक का मूलधन और संचित ब्याज शामिल है, को कवर किया जाना चाहिए।
8. योजना के तहत विनियमित संस्था की बही में सरकार के विरुद्ध कोई प्राप्ति नहीं बननी चाहिए। उधारकर्ता के विरुद्ध एक्सपोजर तब तक बना रहेगा जब तक सरकार से निधि प्राप्त नहीं हो जाती, जिसके बाद इसे कम किया जाएगा।
9. योजना के पूरे कार्यान्वयन और सरकार द्वारा बैंकों को दावों के निपटान को सामान्यतः 45 से 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
10. डीआरएस योजना में भारिबैं अथवा नाबार्ड द्वारा जारी किसी भी विनियामक अनुदेश के विपरीत कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।
11. डीआरएस के डिजाइन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जो विनियमित संस्थाओं को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निम्नलिखित के लिए बाध्य करे:

(ए) उधारकर्ता से अपने बकाया का कुछ अथवा पूरा भाग माफ करना/त्यागना।

(बी) जिन उधारकर्ताओं का ऋण माफ किया गया है, उन्हें नया ऋण देना।

(सी) भविष्य के बजटीय समर्थन की उम्मीद में कोई प्रतिबद्धता करना।

(डी) सरकार से निधि प्राप्त होने की प्रतीक्षा में बकाया वसूली के लिए उपलब्ध विधिक उपायों का अपनाना बंद करना।

तथापि, यदि विनियमित संस्थाएं अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार डीआरएस के डिजाइन के समय अथवा बाद में उपरोक्त में से किसी बात के लिए सहमत होती हैं, तो यह लागू विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।